न्यायिक सक्रियता : सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष

डॉ. वर्षा सागोरकर

प्राध्यापक, राजनीतिविज्ञान विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल, म.प्र.

कविता माकोड़े

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, म.प्र.

पृष्ठभूमि :-

प्रस्तुत शोध पत्र वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक सक्रियता ने विद्वानों का अत्यधिक ध्यानाकृष्ट किया है। यह अवधारणा आमजन, प्रबुद्धजन और राजनीतिक संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच चर्चा का विषय निरंतर बनी हुई है। सैद्धांतिक-संवैधानिक रूप से, न्याय प्राप्त करना सभी का मौलिक अधिकार है, परंतु भारत जैसे गरीब लोकतांत्रिक देश में लोगों का न्याय तक पहुंच बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक व समाधान-परक निर्णयों को पारित करना एवं उन्हें क्रियान्वित कराना अत्यंत सराहनीय है। उच्चतम न्यायालय ने यह अनुभव किया कि सार्वजनिक हितों से जुड़ी समस्याओं जिसमें अशिक्षित व गरीब लोग जुड़े हैं, उन्हें त्वरित न्याय दिलाने वाला कोई तंत्र नहीं है। ऐसे लोगों के साथ हो रहे अत्याचारों और अन्याय के निराकरण के लिए न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं को मान्यता देकर सामाजिक न्याय स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभाई ।

न्यायिक सक्रियता के बढ़ते प्रभाव से न्यायिक प्रक्रिया में सुधार देखने को मिला है। संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में भी सुधार देखने को मिला है। इसका कुछ उदाहरण भी देखने को मिलता है, जैसे- निर्वाचन प्रक्रिया में उतरोत्तर सुधार व निष्पक्षता में वृद्धि, राजनीति का अपराधीकरण में कमी, कल्याणकारी योजनाओं तक आमजन की पहुँच, आदि। न्यायिक सक्रियता के कुछ बड़े रूप भी भारत में देखने को मिलते हैं, जैसे-लोकहितवाद, प्रतिनिधिवाद आदि।

न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक पक्ष के अलावा इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका द्वारा अपने मूल कार्य के अलावा कार्यपालिका और विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाता है, जिससे कभी कभी संवैधानिक संकट भी उत्पन्न हो जाता है। न्यायिक सक्रियता के कारण नीति निर्मात्री संस्थाओं का महत्व कमजोर नहीं होना चाहिए। परंतु, अन्याय अत्याचार, सार्वजनिक हितों की उपेक्षा के समक्ष न्यायपालिका का मूकदर्शक बना रह जाना भी लोकतांत्रिक या संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। आवश्यकता इस बात कि है, कि शासन के सभी अंग अपना उतरदायित्व समझें और उनमें परस्पर सहयोग और संतुलन बना रहे, जिससे इन संस्थाओं में आमजन का विश्वास बना रहे।

न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का उद्भव एवं विकास :

न्यायपालिका की उचित भूमिका पर बहस अमेरिका गणतंत्र की स्थापना से हुई। न्यायिक सक्रियता शब्द अमेरिका के इतिहासकार द्वारा गढ़ा गया था। सक्रियता शब्द का प्राचीन समय से ही शासन व्यवस्था के अध्ययन की परंपरा चली आ रही है यूनाइटेड किंगडम में न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया के दौरान न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत विकसित हुआ। न्यायिक सक्रियता स्टुअर्ट के शासनकाल (1603-1688) में हुई, न्यायिक सक्रियता का प्रश्न न्यायिक व्याख्या, वैधानिक व्याख्या और शक्तियों के

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भारतीय न्यायपालिका ने प्रथम बार न्यायिक सक्रियता का उदाहरण दिया था। यह मामला आपातकाल की घोषणा से पहले हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कार्यकारी शाखा को संविधान के मौलिक सिद्धांतों को बदलने या बदलने का अधिकार नहीं है। तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका पर लगाई गई तात्कालिकता को रोका नहीं, जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक सक्रियता के विचार को और अधिक बल मिलना शुरू हुआ।

- **समाज के दुर्लभ वर्ग की हितों के लिए न्यायिक सक्रियता**

सन् 1976 में पंजाब सरकार ने रिक्शा चालकों की सहायता हेतु अधिनियम पारित किए गए थे। आजाद रिक्शा पुलर्स यूनियन अमृतसर बनाम पंजाब राज्य इस एक्ट का उद्देश्य था कि रिक्शा मालिकों के हाथों रिक्शा चालकों के शोषण को रोकने के लिए था। रिक्शा वही चला सकेंगे जिनके स्वयं की रिक्शा हो वह अपनी रिक्शा को किसी को किराए से नहीं दे सकेंगे। रिक्शा चालक यूनियन में सर्वोच्च न्यायालय में इस अधिनियम को चुनौती दी सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवादित अधिनियम को अवैध घोषित करने के बजाय पंजाब नेशनल बैंक द्वारा रिक्शा खरीदने के लिए ऋण देने की एक योजना तैयार करने हेतु बैंकों को आवश्यक निर्देश दिए इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने रोजगार नीति का प्रतिपादन किया असंख्य रिक्शा चालकों को बेरोजगार होने से बचा लिया।

- **महिलाओं के हितों से न्यायिक सक्रियता**

दिल्ली नारी निकेतन मामला 1982 –

श्रीमती चिन्नमू शिवदास ने सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र लिखा जिसमें महिला उद्धार ग्रह की मानवीय दशा की ओर सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया न्यायालय ने इस पत्र को याचिका के रूप में मान्यता दी और महिलाओं को उनकी विशेष अवधि में सैनिटरी नैपकिंस उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

आगरा प्रोटेक्शन होम केस– में लगभग 70 से 80 लड़कियां रहती थी जिसमें अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है यहां तक कि उनके पास स्नान ग्रह भी नहीं है बिना गेट के हैं जिसमें स्नान करना संभव नहीं है सर्वोच्च न्यायालय इस केस के लिए दो प्रोफेसर को इन लड़कियों की ओर पैरवी करने की स्वीकृति प्रदान की थी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली डेमोक्रेटिक वर्किंग वुमेन्स फोरम बनाम भारत संघ के मामले में महिलाओं के साथ बढ़ते हुए यौन अपराधों पर गंभीर लचता व्यक्त की और ऐसे मामलों के शीघ्र परीक्षण और उन्हें प्रतिकर देने और उनके पुनर्वास के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण किया है।

- **मुकेश अडवाणी बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद–**

उच्चतम न्यायालय ने भोपाल में जिला जज को बंधवा मजदूरी की स्थिति के बारे में जांच करने के निर्देश दिए कानून विशेषज्ञ (जिसने कसाब को फांसी की सजा दी) ने कहा कि फांसी की सजा का उद्देश्य कानून संशोधन की आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो सिर्फ दोषी को सजा नहीं देता, बल्कि एक स्पष्ट संदेश देता है कि अगर कोई ऐसा घिनौना अपराध करेगा तो उसे भी फांसी होगी। ऐसे कई मामले सामने आए है जिसमें न्यायपालिका द्वारा न्यायिक सक्रियता को अपनाया गया है बिना न्यायिक सक्रियता के इन मामलों में फैसला लेना संभव नहीं था।

सीजेआई डीवी चंद्रचूड़ – हर नागरिक को न्याय का अधिकार मिलेगा। यहीं से न्याय की शुरुआत होती है, इसलिए न्याय तलाशते लोगों के लिए जिला न्यायालय सहारा बनकर सामने आएं।

CJI ने अपने संदेश में कहा कि 2022 और 2023 पुराने प्रकरण निराकृत करने में महत्वपूर्ण थे। इन दो सालों में बहुत कुछ किया गया है। तीन महीने में चिह्नित मामलों को हल करने का प्रयास सबसे महत्वपूर्ण रहा है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक, कुल 3 लाख 93 हजार 391 मामले निराकृत हुए हैं। इनमें 60 से 70 साल पुराने केस भी शामिल हैं। 1962, 1964, 1966, 1969, 1970, 1980 और 2000 में दायर मुकदमों की सुनवाई नहीं हुई।

काम करती हैं। सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत न्यायिक सक्रियता समाज के विशेषाधिकारों की रक्षा करती है और विवादों को न्यायिक तरीके से सुलझाने में मदद करती है।

नकारात्मक पक्ष में, न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य उन व्यक्तियों या वस्तुओं के विपरीत कार्रवाई करना होता है जो समाज में विधायिका या सामाजिक उतरदायीत्व का उल्लंघन करते हैं। यह पक्ष न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपराधी या अनुकरणीय व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ सख्त कारवाही की मांग करता है।

इन दोनों पक्षों के संयोजन से ही न्यायिक सक्रियता समाज में संतुलन और विश्वास को बनाए रखने में सहायक होती है, जिससे व्यवस्था में विश्वास और स्थायित्व बना रहता है। कारावास में कई वर्षों से बंद कैदी, जिसमें स्त्री, बच्चे, श्रमिकों, महिला संरक्षण गृहों, की अमानवीय दशा पुलिस अत्याचार, ऐसी कई समस्याओं के निराकरण के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अवसर देती है लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक को न्याय मिले अति आवश्यक होता है इसके लिए न्यायपालिका का ही नहीं बल्कि उच्च स्तर से निम्न स्तर के अधिकारियों की उतरदायीत्व होती है कि उनके पास दुर्लब हो अथवा धनवान अपने स्तर पर अर्थात् विभागीय स्तर पर उसे सुलझाने का प्रयास करें जिससे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कई लोग जो कई वर्षों तक न्यायालय के जटिल प्रक्रियाओं के कारण आ रही समस्याओं से बचा सके। वर्तमान में न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता है लेकिन यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि सक्रियता आड़ में कही अति सक्रियता तो नहीं अपनाई जा रही है।

भारतीय न्याय व्यवस्था इस सक्रिय या क्रिया प्रधान दृष्टिकोण को अपनाने से बदलती जा रही है और अब निषेधात्मक के स्थान पर विधेयात्मक या रचनात्मक है विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोच्च न्यायालय ने अभूतपूर्व काम किया है।

संदर्भ –

1.https://vajiramandravi.com/quest-upsc-notes/judicial-activism-and-overreach/

2.https://www.bhaskar.com/local/delhi-ncr/news/the-complainant-was-made-accused-of-murder-and-the-accused-were-witnesses-the-court-acquitted-the-three-accused-who-were-sentenced-to-life-imprisonment-128833189.html

3.https://indiankanoon.org/doc/1734665/ .

4. https://byjus.com/free-ias-prep/judicial-activism/

5 .https://blog.ipleaders.in/judicial-activism/

6 .https://indiankanoon.org/doc/1761412/

7. https://mpbreakingnews.in/madhya-pradesh/mp-high-court-mp-high-court-shared-its-vision-2047-its-blue-print-should-be-made-so-that-not-even-a-single-case-remains-pending-mnr